संख्या-234/2016/297सी.एम/26-3-2016-3(15)/2007

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

विषयः 17 पिछड़ी जातियों कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी तथा मछुआ को अनुसूचित जाति के रूप में परिभाषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी तथा मछुआ जो कि अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सूचीबद्ध है।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक्विचारोपरांत उत्तर प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी तथा मछुआ को अनुसूचित जाति के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त आदेश में उक्त जातियों को परिभाषित ¼**clarify**½ किया गया है कि न कि उनकी विशिष्टता ¼**specify**½ के उददेश्य से जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-341 में विनिर्दिष्ट है।

3- अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त से अवगत होते हुए प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0-234/2016/297सी.एम.(1)/26-3-2016-तद्दिनांक-

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम-1994 में एक नई अनुसूची जोड़कर उक्त शासनादेश में उल्लिखित 17 जातियों को प्रतिस्थापित करते हुये प्रख्यापित करने का कष्ट करें।

3- प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित 17 जातियों (कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी तथा मछुआ) को उपरोक्त के सम्बन्ध मे नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

4- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

6- निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।

7- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।